/ 02013/2023

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 2 फरवरी, 2023**

विषय :Construction of Multipurpose reservoir at Satpuli village across Eastern Nayar River (District Pauri Garhwal) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–639 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1 (सामान्य) / कैम्प दिनांक 26.12. 2022 एवं पत्र सं0–40 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1 (सामान्य)दिनांक 13.01.2023 में किये गये प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या–53 / II(2)/2022-04(58)/2019 दिनांक 08.01.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Construction of Multipurpose reservoir at Satpuli village across Eastern Nayar River (District Pauri Garhwal) परियोजना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल संवर्द्धन, जन संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण कार्य के अन्तर्गत हेतु रू0 20.00 लाख **(रू0 बीस लाख मात्र)** की धनराशि टोकन मनी के रूप में प्रारम्भिक कार्यों हेतु अवमुक्त की गयी थी, जिसका व्यय न हो पाने के कारण धनराशि समर्पित कर दी गयी।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत परियोजना हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, जल संसाधन विकास एवं प्रबन्धन विभाग, रूड़की को प्रारम्भिक कार्यों के भुगतान हेतु (Consutancy fees for the scope mentioned in Para 1% Scope of work above) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में टोकन मनी के रूप में रू0 20.00 (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. योजना में Irrigation Component नहीं है, तथा पर्यटन विकास की दृष्टि से जलाशय का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। अतः पर्यटन विभाग से पर्यटन विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट Concept Note प्राप्त कर योजना में समावेश किया जाय।
2. योजना का Cost Benefit Analysis प्रस्तुत किया जाय।
3. पर्यटन विभाग से Tourism Pontential एवं सम्भावित पर्यटकों का विवरण एवं पर्यटन से सम्भावित आय का विवरण प्राप्त किया जाय।
4. प्रस्तावित जल क्षेत्र महाशीर प्रजाति की मछलियों हेतु संरक्षित है अतः मत्स्य विभाग की अनापत्ति एवं मछलियों के सुगम आवागमन हेतु आवश्यक संरचना का प्राविधान आगणन में किया जाय।
5. आस्था पथ निर्माण हेतु काफी अधिक धनराशि प्राविधानित है इस कार्य का विस्तृत औचित्य स्पष्ट किया जाय।
6. परियोजना से Mini Hydro Power की सम्भावना के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।
7. जलाशय से ऊर्जा उत्पादन की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर योजना की Feasiblity हेतु सम्मिलित किया जाय।
8. सभी आवश्यक एवं अनिवार्य अन्वेषणात्मक अध्ययन पूर्ण करते हुए इनका समावेश योजना में किया जाय।
9. पर्यावरण, सी0डब्ल्यू0सी0 एवं अन्य सभी प्रकार की अनापत्ति (Clearance) प्राप्त कर ली जाय।
10. योजना के लाभ–लागत का आंकलन औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणिक आकडों के आधार पर किया

11. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
13. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
14. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आरहण एवं व्यय में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–236/ XXVII(1)/2022/9(150)-2019 दिनांक 04, अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश सं0–391/09(150)-2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24,जून, 2022 में निर्धारित शर्तों के साथ–साथ बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, सशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
15. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
16. प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
18. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
19. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है, वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों।
20. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक 4701**–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–00–001–02 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों का आदि का निर्माण–00–53 वृहद् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/101564/2023 दिनांक 22 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न– अलाटमेण्ट आई.डी.।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 23-02-2023 16:11:09

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई–पत्रावली संख्याः–13520,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–सचिव नियोजन विभाग को सचिव महोदय संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
6. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहादून।
11. वित्त अनुभाग– 2, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 23-02-2023 18:20:0

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।